UPRB010090742025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी– (AMIT PAL SINGH), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP05691**

दांडिक प्रकीर्ण वाद संख्या 1625/2025

वैभव शुक्ला उम्र 35 साल पुत्र स्व 0 अरूण शुक्ला निवासी 4648 ए/15 जयमाता मार्केट बुद्ध नगर श्रीनगर दिल्ली।

..... प्रार्थी

बनाम

1. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली।
2. रत्ना उम्र 32 साल पुत्री उदित कुमार त्रिवेदी पत्नी वैभव शुक्ला निवासी कथित निवासी ग्राम मधुपुरी पो0 मुन्शीगंज निकट एम्स हास्पिटल थाना भदोखर जनपद रायबरेली। स्थायी व मूल निवासिनी म 0 नंबर 57 समयपुर रोड आकाश अस्पताल के पास, राजीव कालोनी, सेक्टर 56 बल्लभगढ़ जनपद फरीदाबाद, हरियाणा।

.....प्रतिपक्षीगण

<u>आदेश</u>

1. प्रार्थना पत्र 5 क 1, अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, न्यायालय अपर सिविल जज (जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0 द्वितीय रायबरेली द्वारा परिवाद संख्या 19159/2023 रत्ना बनाम वैभव शुक्ला आदि में पारित आदेश दिनाँक 30.01.2024 के विरूद्ध, निगरानी योजित करने में 1 वर्ष 7 माह 25 दिन के विलम्ब को माफ करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 30.01.2024 के अनुसार निगरानीकर्ता को धारा 498 ए, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है।

2. आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा आदेश दिनाँक 30.01.2024 के विरूद्ध आपराधिक निगरानी दिनाँक 22.12.2025 को योजित की गयी है। प्रशासनिक अधिकारी की आख्या के अनुसार निगरानी 1 वर्ष 7 माह 25 दिन कालबाधित है, जिसको माफ करने के लिए आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 5 क अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया गया कि- प्रश्नगत तलबी आदेश दिनाँक 30.01.2024 की उसे

कोई जानकारी नहीं थी, न ही परिवादिनी/प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा उसे आदेश की कोई जानकारी दी गयी। दिनाँक 17.11.025 को स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्मन प्राप्त होने पर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी की और दिनाँक 20.11.2025 को तलबी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त किया और खर्चा आदि की व्यवस्था कर बिना अनावश्यक विलम्ब किये निगरानी तैयार करवाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। निगरानी योजित करने में उसने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया, बल्कि प्रश्नगत आदेश की जानकारी न होने के कारण निगरानी योजित करने में विलम्ब हुआ जो माफ किये जाने योग्य है। प्रार्थना की गयी कि मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए निगरानी को अंदर मियाद स्वीकार करने की कृपा की जाए।

3. प्रार्थना पत्र 5 क अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में उल्लिखित तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रतिपक्षी संख्या 2 रत्ना की ओर से आपत्ति 12 ख प्रस्तुत की गयी, जिसमें कथन किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तलबी आदेश पारित करने के उपरांत निगरानीकर्ता को न्यायालय द्वारा कई बार सम्मन सही नाम व पते पर भेजे गये, परन्तु उसने जानबूझकर सम्मन वापस किये व लापरवाही की है। प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि सम्मन प्राप्त होने पर उसने कब अवर न्यायालय की पत्रावली का मुआयना किया और तत्पश्चात नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया। निगरानीकर्ता अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब होने का कोई युक्तियुक्त तर्क स्पष्ट नहीं कर सका है। निगरानीकर्ता/प्रार्थी मुकदमे को लम्बे समय तक उलझाये रखना चाहता है। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के आधार पर निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानीकर्ता को प्रश्नगत आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। उसे प्रश्नगत आदेश की जानकारी दिनाँक 17.11.2025 को पुलिस द्वारा सम्मन प्राप्त कराने पर हुयी। उसने जानबूझकर निगरानी योजित करने में कोई विलम्ब नहीं किया है।

6. दूसरी ओर विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत आदेश पारित होने के पश्चात निगरानीकर्ता को कई बार उसके सही पते पर सम्मन भेजे गये, किन्तु उसने जानबूझकर देरी करने के उद्देश्य से सम्मन प्राप्त नहीं किया और

कालबाधित निगरानी योजित किया है। प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया है।

7. आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा, प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अभिकथित तथ्यों के दृष्टिगत, जहाँ तक निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, प्रतिपक्षी संख्या 2 को उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। निगरानी योजित करने में 1 वर्ष 7 माह 25 दिन का विलम्ब है। तदानुसार प्रार्थना पत्र 5 क अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मुबलिग 5000/– रूपये के हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 5 क अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 5000/- (पाँच हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तदानुसार परिवाद संख्या 19159/2023 रत्ना बनाम वैभव शुक्ला आदि, अंतर्गत धारा 498 ए, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना भदोखर, जिला रायबरेली में पारित आदेश दिनाँक 30.01.2024 के विरूद्ध निगरानी योजित करने में हुयी देरी को माफ किया जाता है।

कार्यालय लिपिक तदानुसार पत्रावली समायोजित करे तथा हर्जा अदायगी के उपरांत आपराधिक निगरानी की पत्रावली अंगीकरण पर सुनवाई हेतु दिनाँक 28.04.2026 को पेश हो।

दिनाँक 18.04.2026

(अमित पाल सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली
I.D. No. U.P. 05691

Sripal Singh
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.04.18 15:53:09 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court Raebareli